



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र  
Dr. Rajendra Prasad Mishra  
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661  
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

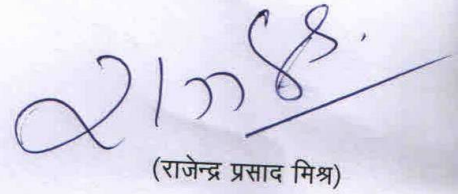
पत्रांक: 026/2009/कान्टि.नि.सं./20/593

तिथि: 28.09.2015

## सूचना

एम. फिल. के विद्यार्थियों के लिए आकस्मिक राशि (Contingency Money) की व्यवस्था यथावत रहेगी।  
तृतीय सेमेस्टर के लिए आकस्मिक राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहमति प्राप्ति के पश्चात बकाया राशि  
के साथ देय होगी।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

  
(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/केंद्र।
3. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण कार्यालय।
4. वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश के साथ।
5. वित्त विभाग।
6. संयुक्त कुलसचिव (अका.)।
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. कार्यालय प्रति।